

31

राष्ट्रीय सं. जी-3/डी एल (एन)-04/0009/2003-05

भारत सरकार

REGD. No. G-3/DL(N)-04/0009/2003-05

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] दिल्ली, फरवरी 25—मार्च 3, 2011, बुधवार/फाल्गुन 6—फाल्गुन 12, 1932 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 289, 291]
No. 9] DELHI, FEBRUARY 25—MARCH 3, 2011, THURSDAY/PHALGUNA 6—PHALGUNA 12, 1932 [N.C.T.D. No. 289, 291]

भाग—IV
PART—IV

भाग-1 में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रधान सचिव एवं आयुक्त (विकास) का कार्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 1 मार्च, 2011

सं. फा. 56(333)/07/वि.मु./4570.—इस सरकार की दिनांक 2 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या फा. 56(333)/07/वि.मु./3594 के अधिक्रमण में तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खंड (क्यू) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री अनंग पाल सैनी, फल एवं सब्जी विशेषज्ञ, विकास विभाग, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्ण क्षेत्र के लिये लाइसेंसिंग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. एस. कनावट, अतिरिक्त विकास आयुक्त

OFFICE OF PR. SECRETARY AND COMMISSIONER
(DEV)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st March, 2011

F. No. 56(333)/07/Dev.HQ./4570.—In supersession of this Government's notification No. F. 56(333)/07/Dev.HQ./3594 dated the 2nd April, 2008 and in exercise of powers conferred by Section 12 read with clause (q) of Section 3 of the Insecticide Act, 1968 (46 of 1968), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Anang Pal Saini, Fruit and Vegetable Specialist of Development Department, to be the Licensing Officer for the whole area of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

S. S. KANAWAT, Add. Dev. Commissioner